

तैयारी : राज्य में 21 हजार आशा कार्यकर्ताओं की बहाली जल्द होगी

स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को जारी किया निर्देश, रिक्तियां भी भेजीं



विशेष

■ मृत्युंजय

मुजफ्फरपुर। राज्य में 21 हजार आशा कार्यकर्ताओं की बहाली होगी। इनमें 14 हजार 409 आशा कार्यकर्ताओं की ग्रामीण और 7289 की शहरी क्षेत्रों के लिए भर्ती होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों को इसका निर्देश जारी किया है। साथ ही सभी जिलों को आशा कार्यकर्ताओं की रिक्तियां भी भेज दी है।

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में जिलों को भेजे पत्र में कहा है कि आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की प्रक्रिया काफी धीमी है। विभाग की समीक्षा में यह बात सामने आई है। विभाग ने दो महीने के अंदर सभी जिलों को आशा की बहाली करने का निर्देश दिया है।

नगर निकाय की पर्यवेक्षक अब



14 हजार 409 ग्रामीण और 7289 शहरी आशा होंगी नियुक्त

02 महीने के अंदर बहाली प्रक्रिया पूरी करने का दिया गया निर्देश

आशा पर्यवेक्षक की भी होगी भर्ती

आशा कार्यकर्ताओं के साथ आशा फैसिलिटेटर (पर्यवेक्षक) की भी बहाली होगी। इसके लिए रिक्तियां जारी कर दी गई हैं। राज्य में 1104 आशा फैसिलिटेटर की बहाली होनी है। आशा फैसिलिटेटर आशा कार्यकर्ताओं के कामकाज की मॉनिटरिंग कर उसकी रिपोर्ट तैयार करती हैं। मुजफ्फरपुर सहित सभी जिले में आशा कार्यकर्ताओं के साथ आशा फैसिलिटेटर की भी बहाली कई महीनों से नहीं हुई है।

शहरी कही जाएंगी: नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में बदलने वाले क्षेत्रों में अब शहरी क्षेत्र के हिसाब से आशा फैसिलिटेटर (पर्यवेक्षक) की नियुक्ति की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने

निर्देश दिया कि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर पंचायत, नगर निगम और नगर परिषद में बदल गए हैं, वहां पहले से काम करने वाली आशा फैसिलिटेटर अब शहरी आशा फैसिलिटेटर कही जाएंगी।